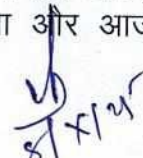


कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
संख्या- ०७/०९/ई-२/२०२४-२५
प्रयागराज: दिनांक ०८ अक्टूबर, २०२५

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या ए-८/ई-१/२०२४, दिनांक ०३-१२-२०२४ के द्वारा विज्ञापित स्थापत्य एवं नियोजन सहायक (प्रा०) परीक्षा-२०२४ के संदर्भ में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक १८ अक्टूबर, २०२५ (शनिवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न ०९:३० बजे से ११:३० बजे तक) लखनऊ जनपद में आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने ओ०टी०आर० नम्बर के द्वारा प्रवेश-पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई०डी०प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से ०१ घण्टा ३० मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से ४५ मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, २०२४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-८, सन् २०२४) दिनांक ०६ अगस्त, २०२४ को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपि बनाना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"


(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।